66वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन

अकरा, घाना : 30 सितम्बर से 6 अक्तूबर 2023

CPA COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION

ई-संसद : पारस्परिक विविधता और न्यायसंगत सार्वजनिक सहभागिता के लिए एक प्रभावी तंत्र

श्री ज्ञान चंद गुप्ता

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, भारत

• हरियाणा विधान सभा सचिवालय, चंडीगढ़ – 160001 • www.haryanaassembly.gov.in

66वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन
अकरा, घाना

4 अक्तूबर, 2023

(संबोधन)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता
माननीय अध्यक्ष,
हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़, भारत

ई-संसद : पारस्परिक विविधता और न्यायसंगत सार्वजनिक सहभागिता के लिए एक प्रभावी तंत्र

संसदीय संस्थानों के मूल कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए ई-संसद सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। सामाजिक-आर्थिक प्लेटफार्मों पर यह संसद के सदस्यों और सामान्य नागरिकों के बीच सेतु का भी काम करती है। यह हर स्तर पर संवाद को मजबूत करती है। इसके अलावा यह कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण में भी मदद करती है। सामाजिक समावेश में वृद्धि करती है, सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता लाती है और सरकारी खर्च को कम करती है। सदस्यों के लिए डिजिटल संसद में डिजिटल सदन, सदस्यों का पोर्टल, मोबाइल / टेबलेट ऐप (आईओएस, एन्ड्रॉएड) शामिल हैं। इसकी मुख्य भूमिका सदनों को बेहतर तरीके से मजबूत करना है।

मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि गत 19 सितंबर 2023 को भारत के नए संसद भवन में सत्र की कार्यवाही का शुभारंभ हुआ। यह भवन पूरी तरह से ई-संसद आधारित नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित है।

हरियाणा विधानसभा ई-विधान प्रणाली शुरू करके उच्च तकनीक वाली पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है। राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना का क्रियान्वयन हरियाणा विधान सभा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। ई-विधान प्रणाली की शुरुआत के बाद सदन से संबंधित सभी दस्तावेज माननीय सदस्यों को उनकी टेबल पर स्थापित टच स्क्रीन और मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं। हरियाणा विधान सभा देश में सबसे कम समय में पेपरलैस होने वाली विधान सभा है।

इसके क्रियान्वयन के लिए हमने 3 अगस्त 2020 को उच्च स्तरीय समिति और राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) समिति का गठन किया था। 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय (MOPA), हरियाणा विधानसभा और हरियाणा राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पहली बार अगस्त 2022 में मानसून सत्र और दिसंबर 2022 शीतकालीन सत्र ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों मोड में आयोजित किए गए। फरवरी, 2023 में आयोजित बजट सत्र पूरी तरह से पेपरलैस था। इस सत्र में और इसके बाद के अगस्त 2023 के मानसून सत्र में एक भी पेपर वितरित नहीं किया गया। इससे पेपर की खपत करीब 98 फीसदी कम हो गई।

24 और 25 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में संसदीय कार्य मंत्रालय (एमओपीए), संस्कृति, कानून एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरियाणा को नेवा परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए सम्मानित करते हुए प्रतीक चिह्न प्रदान किया।

यहां मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा विधान सभा ने अपने विधायकों और अधिकारियों को ई-विधान सभा की तकनीकी बारीकियां सिखाने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया। इनमें विधायकों और अधिकारियों ने पूरे उत्साह और मनोयोग से भाग लिया।

हरियाणा विधान सभा के पास अपनी पूर्व की कार्यवाहियों और दस्तावेजों का समृद्ध ऐतिहासिक डेटाबेस मौजूद है। इसके अलावा अनेक दस्तावेजों को स्केनिंग करवाकर डिजिटल प्रारूप में तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार ये सभी दस्तावेज विधायकों के साथ-साथ आम नागरिकों की भी पहुंच में आ जाएंगे। नेवा एप्लिकेशन हरियाणा विधान सभा में पूरी तरह से सफल रही है। नेवा एक क्लाउड-आधारित और मोबाइल-अनुकूल तथा सदन स्वचालन के लिए डिजाइन की गई एप्लिकेशन है। इस एप्लिकेशन को सदस्यों और सदन की आवश्यकता के अनुरूप डिजाइन किया गया है।

भारत में नेवा परियोजना के क्रियान्वयन से देश के सभी विधानमंडल एक मंच पर आ गए हैं। यह पहल हमारे विधानमंडलों और नागरिकों को करीब लाने में अत्यंत कारगर साबित हुई है। इस पहल से विधेयकों, प्रश्नों-उत्तरों, सदन के पटल पर रखे गए कागज पत्रों तक नागरिकों की पहुंच आसान हो गई है। यह नागरिकों को न केवल लोकतंत्र के करीब लाएगी, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सहभागिता भी बढ़ेगी। यह समग्र लोकतंत्र की दिशा में एक मजबूत कदम होगा।

हरियाणा के नेवा प्लेटफार्म पर सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों की सूचना के लिए संपर्क विवरण, प्रक्रिया नियमों, कार्यसूची, तारांकित/अतारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर, पुर:स्थापन किए गए विधेयक, बहस और पारित किए जाने वाले विधेयकों के पाठ, सदन पटल पर रखे गए कागज-पत्र, समिति के प्रतिवेदन, सदन की कार्यवाही व उनका सार, समाचार और संदर्भ सामग्री, समितियों की बैठकों की रिपोर्टें, उनकी कार्यसूची के विवरण सहित सभी समितियों की संरचना से संबंधित सूचना इत्यादि सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध रहती है।

जैसा कि भारत के संसदीय कार्य मंत्रालय ने ई-विधान को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के रूप में पुनः नामित किया है, हरियाणा ने इसे पूरी तरह से लागू किया है। नेवा परियोजना के समुचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए हरियाणा विधान सभा ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ-साथ दूसरे राज्यों की विधान सभाओं के अध्ययन दौरे भी किए गए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता भी संसदीय कार्य मंत्रालय से ली गई।

विधायी कामकाज का डिजिटलाइजेशन होने से सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने से प्रदर्शन में आशा के अनुरूप सुधार हुआ है। यह लोगों को कंप्यूटर, मोबाइल फोन या टैबलेट आदि जैसे अन्य उपकरणों के माध्यम से सेवाएं सुलभ करवाता है। इसका उपयोग न केवल सोशल मीडिया नेटवर्किंग आदि के लिए किया जा सकता है, बल्कि सरकारी सेवाओं के उपयोग के लिए भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है।

डिजिटलाइजेशन से समय की बचत में व्यापक इजाफा हुआ है। जिस प्रकार लोगों को कैश को संभालना ले-जाना जोखिम भरा रहता है। एटीएम की लाइन में खड़े होकर पैसा निकालने में भी काफी समय जाया हो जाता है। इन सबसे बचने के लिए डिजिटल ट्रांसक्शन एक आसान और त्वरित प्रक्रिया है। ठीक इसी प्रकार सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए डिजीटलाइजेशन मील का पत्थर साबित हुआ। इससे शासन में जन-सहभागिता भी बढ़ी है। कैशलेस की वजह से भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है। डिजिटल ट्रांजेक्शन की वजह से हर एक एंट्री का रिकॉर्ड पारदर्शी तरीके से रहता है।

इंटरनेट की सुलभता और सेवाओं के डिजीटलाइजेशन के कारण भारत के गावों में पैसों का ट्रांजेक्शन करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना या ऑनलाइन बुकिंग करने इत्यादि कार्यों में तेजी आई है। साथ ही शिक्षा के ई-माध्यमों के कारण इस क्षेत्र का न केवल विकास हुआ बल्कि इसका दायरा भी बढ़ा है।

डिजिटल इंडिया के चलते बाजारों में आईटी विशेषज्ञों, कंप्यूटर इंजीनियरों की मांग बड़ी है। नई टेक्नोलॉजी के आने से साइबर और फोरेंसिक विशेषज्ञों, साइबर वकीलों की मांग बढ़ी है। भारत में टेक्नोलॉजी और डिजिटल के माध्यम से काम होने के कारण नए लोगों को इस क्षेत्र में अवसर मिलने लगे हैं।

सरकारी कामों को मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करना आसान हो गया है। सभी सरकारी दस्तावेज़ क्लाउड पर उपलब्ध हो गए हैं। देश में सुरक्षित और विश्वसनीय साइबरस्पेस से सरकारी योजनाओं का वेबसाइट के जरिये जानकारी पाना और योजना के लिए आवेदन

करना आसान हुआ। इस प्रकार से लोग न केवल योजनाओं का समुचित लाभ ले रहें, बल्कि उनकी शासन में सहभागिता भी बढ़ी है।

नेवा माध्यम से विधायकों के सवाल डिजिटल माध्यम से विधान सभा सचिवालय को प्राप्त होते हैं। यह सचिवालय डिजिटल माध्यम से संबंधित विभागों से इनके जवाब मंगवाता है। विधायी कामकाज की यह शुरुआत ई-विधान के माध्यम से आम जनता से शुरू हो जाती है। नेवा प्लेटफार्म पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें आम नागरिक इस तकनीक का प्रयोग कर अपने जनप्रतिनिधि तक अपनी समस्या या विचार पहुंचा सकता है। डिजिटल माध्यमों का ही परिणाम है कि हम हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही का सेटेलाइट आधारित टीवी चैनलों के माध्यम से सीधा प्रसारण कर पा रहे हैं।

ई-संसद की कार्यप्रणाली इस प्रकार से डिजाइन की गई है, जिसमें किसी भी विधेयक के मसौदे पर जनता की राय लेना काफी आसान हो जाता है। इस दिशा में भारत में बड़े स्तर पर कार्य किया गया है। उदाहरण के तौर पर इसी वर्ष 11 अगस्त को संसद में 3 पुराने बड़े कानूनों को बदल कर उनके स्थान पर नए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा। इन नए कानूनों के मसौदे पर 18 राज्यों, 6 संघशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने अपने

सुझाव दिए हैं। इतना बड़ा यह कार्य ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही संभव हो सका। इतना ही नहीं इन कानूनों में भी ई माध्यमों को प्रोत्साहित किया गया है। कानून में दस्तावेज़ों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है।

भारत में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। इस नीति पर बड़ी संख्या में लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए। यह सभी डिजिटल माध्यमों से ही संभव हो सका। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ई संसद से शासकीय कार्यों में जनसहभागिता सहज ही बढ़ जाती है।

वन्दे मातरम्!

जय हिन्द!

यह भाषण हरियाणा विधान सभा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है
https://haryanaassembly.gov.in/speech/

66th Commonwealth Parliamentary Conference

Accra, Ghana : 30 September - 6 October 2023

CPA COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION

E-Parliaments : An effective mechanism for intersectional diversity and equitable Public engagement.

Sh. Gian Chand Gupta

Hon'ble Speaker,
Haryana Legislative Assembly, India

● Haryana Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh– 160001 ● www.haryanaassembly.gov.in

66th Commonwealth Parliamentary Conference
Accra, Ghana
October 4th, 2023

Address by :
Shri Gian Chand Gupta
Hon'ble Speaker,
Haryana Legislative Assembly,
Chandigarh (India)

E-Parliaments : An Effective Mechanism for intersectional diversity and equitable Public engagement.

Ladies and gentlemen, distinguished guests,

Today, I stand before you to discuss a transformative concept that has the power to reshape the way nations engage with international diversity and promote equitable public engagement. It is the concept of an E-Parliament, a digital forum for democratic representation and global collaboration.

In our interconnected world, diversity is not just a buzzword; it's a fundamental reality. We are witnesses to a tapestry of cultures, languages, and perspectives that span the globe. This diversity is a source of strength, a wellspring of innovation, and a testament to the richness of human experience. However, harnessing this diversity for effective governance and equitable public engagement can be a challenge.

Enter the E-Parliament, a visionary idea that blends technology, democracy, and international cooperation. E-Parliament represents an innovative mechanism for embracing international

diversity and ensuring that all voices are heard, regardless of geographic location or background.

Global Accessibility: E-Parliament transcends borders and time zones. Citizens from different corners of the world can participate, offering their unique perspectives on global issues. This not only democratizes access but also promotes international diversity.

Inclusive Representation: Traditional parliaments may struggle to represent the diverse populations within their borders adequately. E-Parliament can provide a platform for marginalized groups, indigenous communities, and diaspora populations to have their voices heard at an international level.

Transparency and Accountability: The digital nature of E-Parliament ensures transparency in decision-making processes. Citizens can access real-time information on debates, votes, and policy discussions. This transparency fosters trust and promotes equitable public engagement.

Collaborative Diplomacy: E-Parliament goes beyond national boundaries. It facilitates cross-border collaboration on pressing global issues like climate change, poverty alleviation, and public health. It encourages nations to work together in the pursuit of common goals.

Empowering Youth: Young people, often underrepresented in traditional parliaments, can play a more significant role in shaping the future through E-Parliament. This empowers the next generation to be active global citizens.

In our discussion of the transformative concept of E-Parliament, it's essential to highlight a remarkable real-world example that

demonstrates the potential of digital platforms in fostering environmental sustainability and efficient governance. The Haryana Legislative Assembly, nestled in the heart of India, has taken a bold step towards embracing the digital age with its successful implementation of the NeVA (National e-Vidhan Application) platform.

The NeVA platform represents a groundbreaking achievement, not just in terms of technological innovation but also in its contribution to creating a greener, more environmentally responsible government. Through NeVA, the Haryana Legislative Assembly has ushered in a new era of governance, significantly reducing its reliance on paper documentation, which is a momentous stride towards a greener environment.

Here are some key aspects of this remarkable initiative:

Paperless Governance: NeVA has revolutionized the legislative process by enabling members of the Haryana Legislative Assembly to access documents, bills, and other critical information digitally. This significant reduction in paper usage directly contributes to a more sustainable and eco-friendly government.

Efficiency and Transparency: By transitioning to a digital platform, NeVA has streamlined administrative processes, making information more accessible and transparent. This not only reduces waste but also enhances the efficiency of legislative proceedings.

Cost Savings: Going paperless results in substantial cost savings related to printing, storage, and maintenance of physical documents. These savings can be redirected towards more

pressing issues, such as healthcare, education, and infrastructure development.

Accessibility: NeVA ensures that lawmakers have easy access to essential documents and can perform their legislative duties remotely, promoting inclusivity and participation while minimizing the need for travel and printed materials.

Scalability: The success of NeVA in Haryana can serve as an inspiration for other legislative bodies worldwide to embrace similar digital platforms, further reducing the global environmental footprint.

In conclusion, the Haryana Legislative Assembly's adoption of the NeVA platform is a shining example of how technology can not only enhance governance but also contribute significantly to environmental sustainability. It's a testament to the power of innovation in fostering a more efficient, transparent, and eco-conscious government.

The Haryana Legislative Assembly's commendable shift towards the NeVA platform, is important to delve into the depth of this transformation. One of the most striking aspects of this digitization effort is the comprehensive availability of all previous proceedings of assembly sessions. This includes debates, questions, rules of procedures, details of bills introduced and passed, as well as reports of the committees. All of this crucial legislative information is now readily accessible in digital format.

Here are the key benefits of this digitization effort:

Historical Record Preservation: By converting past proceedings into digital format, the Haryana Legislative Assembly is preserving

its historical records in a more sustainable and easily accessible manner. This ensures that the rich legislative history of the region is safeguarded for future generations.

Enhanced Accountability: The availability of past debates, questions, and reports in digital format enhances accountability and transparency. Citizens can now easily trace the evolution of legislative decisions and understand the rationale behind them.

Efficient Research and Analysis: Researchers, scholars, and policymakers can benefit immensely from this digital repository. It simplifies the process of conducting in-depth analyses and studies of legislative actions and trends over time.

Accessibility: Making this information available in digital format ensures that it is accessible to a wider audience, including those with disabilities who may use assistive technologies to access legislative documents.

Resource Conservation: Going digital not only reduces the need for printing and storing vast quantities of paper but also saves the time and resources previously spent on manual record-keeping and retrieval.

This comprehensive digital archive represents a significant leap towards a more transparent, accountable, and environmentally responsible governance system. It sets an example for other legislative bodies globally, emphasizing the importance of embracing technology to make governance more efficient, accessible, and eco-friendly.

In our discussion of E-Parliament and its potential to promote equitable public engagement and international diversity, the Haryana Legislative Assembly's commitment to digitization and

the availability of past proceedings on the NeVA platform serve as a shining beacon. They remind us that the path to a more inclusive and sustainable future is paved with innovation and a dedication to preserving our democratic heritage.

However, for E-Parliament to become a reality and an effective mechanism for international diversity and equitable public engagement, we must address several challenges:

Digital Divide: Ensuring that all citizens, regardless of their socioeconomic status, have access to the necessary technology and internet connectivity is crucial.

Security and Privacy: Robust cybersecurity measures must be in place to protect the integrity of E-Parliament and the personal information of participants.

Legal Frameworks: International agreements and legal frameworks are needed to govern the functioning of E-Parliament, ensuring it complements existing democratic institutions.

In conclusion, the idea of E-Parliament represents a visionary approach to embracing international diversity and promoting equitable public engagement on a global scale. It is a step towards a more inclusive, transparent, and collaborative world. To make this vision a reality, we must work together to overcome the challenges, harness the opportunities, and build a future where every voice truly matters, regardless of where it comes from.

Thank you.

This speech is also available on the website of Haryana Legislative Assembly
https://haryanaassembly.gov.in/speech/

10601—H.V.S.—H.G.P.,Pkl.

हरियाणा विधान सभा सचिवालय, चंडीगढ़ – 160001

यह भाषण हरियाणा विधान सभा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है
This speech is also available on the website of Haryana Legislative Assembly
https://haryanaassembly.gov.in/speech/